न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **110/17 (वाद)**

जीसीएमएस नम्बर : 2017/00454

1. श्री चुन्नीदास पिता उदेराम वैरागी निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

............वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. सचिव, नगर विकास प्रन्यास उदयपुर जिला उदयपुर राज0।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री दीपक बड़गुर्जर, अधिवक्ता वादी।
2. राजपेरोकार मावली, प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 05.03.2025

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नाहरमगरा, पटवार सर्कल नाहरमगरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) में स्थित आराजी संख्या 292 में से रकबा 3.00 तीन बीघा भूमि (जिसके हाल पैमायशी आराजी नम्बर 369 रकबा 4.00 चार बीघा है) को मुझ वादी के नाम पर श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा दिनांक 01.05.1976 को आवंटित की गयी थी और मुझ वादी को आवंटित भूमि का कब्जा विधिवत् सिपुर्द किया गया जिसका पर्चा सिपुर्दगी पटवारी हल्का नाहरमगरा द्वारा मौतबीरान की उपस्थिति में बनाया गया और श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा उपरोक्त आवंटन आदेश की पालना मे आवंटित कृषि भूमि आवंटी के नाम पर नामान्तरकरण खोलने के आदेश पटवारी, पटवार हल्का नाहरमगरा को दिये गये।
2. यह कि मुझ वादी के नाम पर उक्त भूमि आवंटित होने के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा उपरोक्त [illegible] की पालना में नामान्तरकरण खोलने हेतु आदेश दिये गये लेकिन मुझ वादी के [illegible] से नामान्तरकरण नही खोला गया। जबकि मैं वादी उक्त आवंटित भूमि पर उक्त आवंटन से आज [illegible] तक निरन्तर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:58:50 IST
Reason: SelfAttested

निर्बाध रूप से काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हूँ और मुझ वादी ने उक्त भूमि को आवादान एवं विकसित करने में परिवार सहित श्रम एवं धन खर्च किया है और भूमि को विकसित बनाया है और मुझ वादी का लगातार निरन्तर काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है और उक्त भूमि पर वर्तमान में भी काबिज है।

3. यह कि मुझ वादी ने लाखों रूपयो का खर्चा कर एवं परिवार सहित कड़ी मेहनत मशक्कत कर उक्त जमीन को उपजाऊ बनाया है और भूमि को काबिल काश्त बनाया है। मुझ वादी को यह ज्ञात हुआ कि आवंटित भूमि मेरे नाम पर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज नही है जिसपर मुझ वादी ने आवंटित भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम पर खुलवाने हेतु राजस्व अधिकारियों से कई बार निवेदन/आवेदन किये किन्तु उक्त आवंटित भूमि मुझ वादी के नाम पर दर्ज नही की गई है। आवंटित आराजी नं. 292 के नये आराजी नम्बर 369 बने तथा आवंटित जमीन नयी जरीब से बढकर 3 बीघा से 4 बीघा हुई है जिस पर मैं वादी व मेरे परिवारजन निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। यह कि मुझ वादी ने उक्त वर्णित आराजीयात पर लाखों पर रूपया खर्चा कर उक्त भूमि को आवादान किया है तथा इसे काश्त योग्य बनाया है और मैं वादी विकलांग व्यक्ति होकर सीनियर सिटीजन हूँ और मुझ वादी के पास उक्त कृषि भूमि के अलावा आजीविका का कोई साधन नही है। मुझ वादी द्वारा प्रतिवर्ष उक्त वर्णित आराजीयात पर फसले बोयी व काटी जाती रही है जिसका अंकन भी पटवारी पटवार हल्का द्वारा समय समय पर खसरा गिरदावरी में किया जाता रहा है एवं मुझ वादी के विरूद्ध तहसीलदार मावली द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अधीन नाजायज कब्जे की कार्यवाही भी की जाती रही है एवं मैं वादी समय पर उक्त भूमि का लगान (पैनाल्टी) भी जमा कराता आ रहा हूँ। उक्त भूमि को मुझ वादी ने अपने खाते में दर्ज कराने हेतु राजस्व अधिकारियों से भी कई बार निवेदन किया था जिसपर राजस्व अधिकारीयों ने वादी को आश्वासन दिया था कि भूमि मेरे खाते कर देगें। लेकिन बाद में मुझ वादी के नाम भूमि खाते करने से मना कर दिया।

4. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि पर मुझ वादी का वर्ष 1976 से निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है और मैं वादी काबिज हो उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ और [illegible] वार फसलो की बुवाई कटाई करता आ रहा हूँ और मुझ वादी ने उक्त भूमि को काश्त योग्य बनाने में लाखों रूपयों का खर्चा किया है और आवादान की है इसलिये मैं वादी उक्त वर्णित कृषि भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:58:50 IST
Reason: Self Attested

अपने खातेदारी हक की घोषित करा अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी हूँ। जिसके लिये यह वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है।

5. यह कि वादी ने वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजी को अपने नाम खातेदारी हक से दर्ज कराने हेतु नियमानुसार दिनांक 17.02.2017 को प्रतिवादीगण को नोटिस दिये थे जो प्रतिवादीगण को प्राप्त हो गये। लेकिन आज दिन तक उक्त भूमि वादी के नाम पर दर्ज नही की गई। मुझ वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध वाद कारण प्रथम बार उत्पन्न हुआ जब मुझ वादी ने संबंधित राजस्व अधिकारीयों को उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में अपने नाम दर्ज करने निवेदन किया एवं दिनांक 17.02.2017 को प्रतिवादीगण को नियमानुसार नोटिस दिया जो प्रतिवादीगण को प्राप्त हो गया उसके पश्चात् भी भूमि मुझ वादी के नाम दर्ज नही की। उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

6. अंत में निवेदन किया कि मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की घोषणा की डिक्री जारी फरमाई जावें कि मौजा नाहरमगरा, पटवार हल्का नाहरमगरा में स्थित हाल आराजी नम्बर 369 रकबा 4.00 चार बीघा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर वादी का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी खेवट खतौनी में अंकन फरमाया जाने की डिक्री प्रदान कराई जावें। अन्य मुफिद दाद वादी जो कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी हो दिलाई जावें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। राजपैरोकार मावली द्वारा वादी के वाद पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा भी वादी के वाद पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नाहरा मगरा पटवार हल्का नाहरा मगरा तहसील मावली जिला उदयपुर में आराजी संख्या 292 रकबा 3 बीघा (जिसके हाल पैमाइश आराजी संख्या 369 रकबा 4 बीघा) श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा दिनांक 0.05.1976 को वादी के नाम आवंटित की गई उक्त तथ्य पूर्णतया मिथ्या बनावटी और बेबूनियाद है। नगर विकास प्रन्यास की ओर से उक्त कथन का खण्डन कर अस्वीकार किया जाता है। उक्त वर्णित आराजी 369 रकबा 31 बीघा 13 बिस्वा की कुलिया भूमि राजस्व रिकार्ड में नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज है एवं नगर विकास प्रन्यास उक्त वर्णित आराजी की कुलिया भूमि पर वैध रूप से काबिज है। वादी अपने कथन के [illegible] दस्तावेज एवं विधि समत साक्ष्य से सिद्ध करावे । वादी द्वारा उक्त वर्णित आराजी पर पिछले चालीस वर्षों से काबिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puhadia
Date: 2025.05.26 11:58:50 IST
Reason: SelfAttested

होने का कथन मिथ्या अंकित किया है जब वादी का वैध स्वामित्व ही नही था तो उसके द्वारा उक्त वर्णित अराजी पर किन अधिकारो के काबिज रहा गया वादी विधि सम्मत साक्ष्य से सिद्ध करावे । उक्त वर्णित खसरा नम्बर 369 रकबा 31 बीघा 13 बिस्वा की कुलिया भूमि राजस्व रिकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज हो नामान्तरकरण सख्या 7603 दिनांक 21.09.15 से बिलानाम गैर काबिल काश्त से नगर विकास प्रन्यास के नाम पर दर्ज हुई है और निर्बाध रूप से नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज रह उस पर नगर विकास प्रन्यास काबिज है । आराजी सख्या 369 रकबा 31 बीधा 13 बिस्वा का सम्पूर्ण भाग राजस्व रिकार्ड में नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज है एवं वैध रूप से नगर विकास प्रन्यास ही इस पर काबिज है । वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड मे विधि पूर्ण तरीके से नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज भूमि पर अवैद्य रूप से काबिज होने के प्रयास में मिथ्या कथन किया जा रहा है। यदि न्यायालय आपमें प्रकरण के तथ्यो का अवलोकन किया जावे तो स्पष्ट है कि जब वादी के पास वैद्य स्वामित्व ही नही है एवं वह मिथ्या कथन करते हुए उस पर लागत लगवाए जाने का कथन न्यायालय आपके समक्ष करता है एवं वह किस आधार पर भूमि पर काबिज है । वादी ने किसी प्रकार का कोई नोटिस प्रतिवादी को नही दिया है

8. प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया वादग्रस्त भूमि जिसके साबिक नम्बर 292 में से 3 बीघा भूमि को उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा दिनांक 01.05.1976 को आवंटित कर कब्जा सिपूर्द किया। तभी से उक्त भूमि पर काबिज है। नामान्तरकरण नहीं होने से भूमि नाम पर दर्ज नहीं हो पाई। आराजी नम्बर 292 के हाल नम्बर 369 रकबा 4 बीघा को आवंटन आदेश के आधार पर अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है।

.....वादी

2. आया वादग्रस्त भूमि बिलानाम सरकार होकर प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हो चुकी है। भूमि पर वादी का कोई कब्जा नहीं है। वादी कोई दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

.....प्रतिवादी

3. दादरसी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:58:50 IST
Reason: SelfAttested

9. साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी गवाह पी.डब्ल्यू 1 श्री चुन्नीदास पिता उदेराम वैरागी, गवाह पी.डब्ल्यू 2 श्री धनदास वैरागी, गवाह पी.डब्ल्यू 3 श्री गणेशलाल मेघवाल के शपथ पत्र पेश किए गए। पी.डब्ल्यू 1 श्री चुन्नीदास पिता उदेराम वैरागी द्वारा दस्तावेज मौजा नाहरमगरा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 470 प्रदर्श 1, मौजा नाहरमगरा की नकल ख़सरा पत्रक सम्वत् 2022 प्रदर्श 2, मौजा नाहरमगरा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खाता संख्या 1 प्रदर्श 3, मौजा नाहरमगरा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खाता संख्या 351 प्रदर्श 4, आवंटन पत्र नम्बर 1790 असल प्रदर्श 5 एवं छायाप्रति पत्रावली में प्रदर्श 5ए, भूमि वितरण मुतालिक तस्दीकी जांच फार्म सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 6, पर्चा मौका पटवारी नाहरमगरा दिनांक 10.06.72 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 7, पटवारी सालेराकलां द्वारा जारी पत्र की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 8, लगान रसीदे क्रमांक 000043, 0000025, 000031, 000017 प्रदर्श 9 से 12 करवाये गये। राजपैरोकार साक्ष्यप्रतिवादी नही करना चाहा।

10. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी एवं राजपेरोकार की बहस को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि का वादी खातेदार घोषित करने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि भूमि वर्तमान में बिलानाम गैर काबिल काश्त होकर किस्म पहाड़ दर्ज हैं। किस्म पहाड़ होने से ऐसी भूमि पर खेती नहीं होती हैं। ऐसी भूमि आवंटन एवं नियमन नहीं की जाती हैं। अतः भूमि बिलानाम होने से वादी का वाद खारिज किया जावें।

11. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान के बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में तनकी वार निर्णय निम्न प्रकार हैं :–

    1. आया वादग्रस्त भूमि जिसके साबिक नम्बर 292 में से 3 बीघा भूमि को उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा दिनांक 01.05.1976 को आवंटित कर कब्जा सिपूर्द किया। तभी से उक्त भूमि पर काबिज है। नामान्तरकरण नहीं होने से भूमि नाम पर दर्ज नहीं हो पाई। आराजी नम्बर 292 के हाल नम्बर 369 रकबा 4 बीघा को आवंटन के आधार पर अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:58:50 IST
Reason: SelfAttested

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर रहा। वादग्रस्त भूमि जिसके साबिक नम्बर 292 में से 3 बीघा किस्म पहाड़ भूमि को आवंटन होना बता रहा है। परन्तु प्रदर्श 5 ए उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के आवंटन पत्र 1790 में आराजी नम्बर 376 अंकित है तथा किस्म भी बंजड़ अंकित है। इस प्रकार वादी द्वारा वाद में अंकित आराजीयात का मिलान नही हो रहा है। यह तथ्य सही है कि कब्जा सिपुर्द रिपोर्ट में आराजी नम्बर 292 अंकित है। परन्तु इसमें भूमि की किस्म अंकित नही है। वर्तमान में उक्त भूमि नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम दर्ज है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि आवंटन होना जाहीर नही होता है। उक्त तनकी वादी के विरूद्ध में निर्णित की जाती हैं।

2. आया वादग्रस्त भूमि बिलानाम सरकार होकर प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हो चुकी है। भूमि पर वादी का कोई कब्जा नहीं है। वादी कोई दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर रहा। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या अन्य कोई स्वतंत्र गवाह भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा है या नही । अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध साबित की जाती है।

12. उपरौक्त विवेचन, तनकीवार निर्णयन, दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में बिलानाम गैर काबिल काश्त होकर किस्म पहाड़ दर्ज हैं। वादी द्वारा सन् 1976 में वादग्रस्त भूमि आवंटन होकर काबिज होना बता रहा है। वर्तमान में वादी उक्त भूमि पर काबिज है या नही इस संबंध में वादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। आवंटन के संबंध में भी वादी द्वारा प्रस्तुत आवंटन आदेश में अंकित आराजीयात का मिलान वाद पत्र में अंकित आराजीयात से नही हो रहा है। वैसे भी भूमि की किस्म पहाड़ अंकित है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त है। बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि का आवंटन नही हो सकता है। वर्तमान में भूमि नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज है। वादी स्वयं के कथनानुसार वादग्रस्त भूमि का आवंटन 1976 में होना बताया है। वादी द्वारा वाद दिनांक 12.05.2017 को प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा जमीन अपने नाम करवाने हेतु प्रतिवादीगण को नोटिस दिनांक 17.02.2017 को देना बताया है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद लगभग 49 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है। यदि वादी को उक्त भूमि आवंटित हुई होती तो वादी अवश्य ही 6 माह के भीतर तहसीलदार के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:58:50 IST
Reason: SelfAttested

करवाने की कार्यवाही करवाता, परन्तु वादी द्वारा ऐसा नही किया गया। वादी द्वारा लगभग 49 वर्ष बाद उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने के लिए वाद प्रस्तुत किया है परन्तु इससे पूर्व वाद प्रस्तुत क्यों नही किया इस संबंध में कोई कारण वादी द्वारा नही बताया गया है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी खारिज योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:58:50 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री चुन्नीदास पिता उदेराम वैरागी निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. सचिव, नगर विकास प्रन्यास उदयपुर जिला उदयपुर राज0।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 110/17 (वाद)

जीसीएमएस नम्बर : 2017/00454

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु जितेन्द्र ओझा R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05.03.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:58:50 IST
Reason: SelfAttested